


**COMPUTER STATIONERY ITEMS AND GENERAL
STATIONERY ITEMS**

PART – A TECHNICAL BID


निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज०, जयपुर

Two Bids in separate sealed envelopes for Part- A Technical & Part – B Financial Bids, duly filled & marked *“Technical/Financial Bid for general items to be used for office pupose”* shall be submitted as per schedule given below :-

1	Tender No. 01	Date 27-11-2009		
2	Tendering Authority & Address	Director (PH) Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur Ground Floor, Swasthya Bhawan, C-Scheme, Tilak Marg, Rajasthan, Jaipur.		
3	Telephone	0141-2229858		
4	Telephone-Cum-Fax	0141-2224831		
5	E-mail	-		
		Date	Time	Place
6	A. Tender form can be obtained upto B. Tender form can be submitted upto	15.12.2009 16.12.2009	3:00 PM 11:00 AM	DM&HS, Raj. Jaipur Room No.- B-11 स्वास्थ्य भवन
7	Opening of Tender for :-			
	A. Technical Bids	16.12.2009	2:00 PM	---do---
	B. Financial Bids	17.12.2009	2:00 PM	---do---

The tender (Technical & Financial Bids) should be delivered personally according to the schedule given above. Tenders will be short listed on the basis of Technical Bids. Financial bids shall be opened only for those tenderers who qualify in the Technical Bids.

Date :

**Signature of Issuing
Authority**

Signature of Tenderer

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DIRECTORATE, MEDICAL & HEALTH SERVICES, RAJ., JAIPUR
TENDER FORM FOR TECHNICAL BID

Tender for purchase of general items.to be used for office puiurpose

1. Name & Postal address of the M/s _____

firm submitting the tender _____

(निविदा एवं संविदा की शर्त सं. 42
की पालना करें)

2. Telephone Numbers _____

a) Registered Office _____

b) Head Office _____

c) Jaipur Office _____

d) Local Service centre _____

e) Other _____

3. Address to **Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur**

4. Reference Tender No. Dated-

5. The tender fee amounting to Rs. 100/- has been deposited vide cash receipt/ crossed postal order/Demand Draft Number _____ dated _____ payable to Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.

6. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice Number issued by the Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the terms mentioned there in).

7. Goods will be delivered within a period of 15 days from the date of the receipt of firm order.

8. The rates quoted above are valid upto 3 Months from the date of the opening of the financial bid. The period can be extended with mutual agreement.

Name of Singnature of Tenderer

9. Details of earnest money is as under :

S. No.	Name of articles tendered	Total estimated cost	Earnest money	DD/Challan/Cash receipt no. & Date	Name of Bank
1	General items to used for office purpose	Rs.5,00,000	Rs./ 10,000/-		

10. Sales Vat/Tax Registration Number and Sales Vat/Tax Clearance Certificate are submitted herewith.

11. Authorization of manufacturer/Distributor/Dealer etc. is also enclosed.

12. All conditions mentioned on Price schedule are accepted.

13. Two sets of samples are accompanied for articles marked within the schedule.

14. Previous supply/performance of the tenderer with the name of the deptt.

15. Supply capacity.

Name of Signature of Tenderer

Encl.: Terms & Conditions

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामग्री/स्टोर्स/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उमके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/ डीलर/सोल सैलिंग/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

—: खुली निविदा के लिए निविदा एवं सविदा की शर्तें :-

टिप्पणी :- निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालना करना चाहिए।

1. निविदा प्रपत्र दो भागों में है। प्रथम भाग तकनीकी बिड है तथा द्वितीय भाग वित्तीय बिड है। निविदाकार तकनीकी बिड एवं वित्तीय बड को अलग-अलग लिफाफों में सील बन्द करें तथा इन दोनों लिफाफों को एक बडे लिफाफे में बंद करके निविदा प्रस्तुत की जाए सभी लिफाफों पर निविदा का नाम, खोलने कि तिथी एवं समय तथा निविदाकार का नाम व पूर्ण पता अवश्य अंकित किया जावे। कृपया ध्यान रखा जावे कि तकनीकी बिड के लिफाफे में यदि वित्तीय दरे आदि किसी भी कारण दृष्टिगत होती है तो ऐसी निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।

शर्त संख्या 1 (अ)

निर्धारित तिथि एवं समय पर तकनीकी निविदा को खोला जाकर निम्न क्राइटेरिया के आधार पर उसका परीक्षण किया जावेगा :-

1. पूरी धरोहर राशि (Earnest Money) की प्राप्ति।

2. हस्ताक्षरित निविदा शर्तें

3. प्रारूप एस.आर. 11 में घोषणा प्रमाण-पत्र (निविदाताओं द्वारा घोषणा)।

4. बिक्रीकर पंजीयन एवं चूकती प्रमाण-पत्र।

5. लघु उद्योग के मामलों के उद्योग विभाग द्वारा जारी स्थाई प्रमाण-पत्र एवं

पी.पी.सी. निर्धारित प्रपत्र में। (प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा)

6. सैम्पल (दो सेट में) जिनका कोई भुगतान देय नहीं होगा/सैम्पल/ठीक से पेक किया जाकर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।

इस क्राइटेरिया के आधार पर जिन निविदाकारों को योग्य माना जावेगा, केवल उन्ही की वित्तीय बिड खोली जावेगी जिसके समय एवं तिथी से बाद में ऐसे योग्य निविदाकारों को सूचित किया जायेगा।

2. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में मुहरबंद लिफाफे में बन्द करना चाहिए।

3. "वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएं:- निविदाएं सामग्री के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस.आर. प्रारूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

4. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से सविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।

(ii) सविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित नामा प्रस्तुत नहीं कर दें। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह सविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

5. बिक्री कर पंजीय एवं चूकती प्रमाण-पत्र :- कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर चूकती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
6. निविदादाताओं को बिक्री कर पंजीयन संख्या एवं संबंधित वाणिज्य कर अधिकारी से बिक्री कर चूकती प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पैसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
8. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखानी चाहिए।
9. दरें गतव्य स्थान तक एफ.ओ.आर उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी अनुषंगिक प्रमारों को शामिल करना चाहिए किन्तु बुगी, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हे अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरें में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाडी भाडे (कॉर्टेज) या परिवहन प्रमारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी केता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिये होते हैं, इसलिए उन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिये या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए है तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण-पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।
10. (i) दरों की तुलना:- राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान की हकदार नहीं हैं, द्वारा निविदा दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर/VAT की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। जबकि केन्द्रीय बिक्री कर (Central VAT) को इसमें शामिल किया जाएगा।
- (ii) राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।
11. मूल्य अधिमान :- (मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार कय (राजस्थान के उद्योगों के अधिमान) नियम, 1995 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में पी पी सी प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा)
12. विधिमन्यता :- वित्तीय निविदा उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमन्य होगी।
13. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन

शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे केंता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

14. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उप-भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

15. विनिर्देश :-

- (i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुरूप अपेक्षा की गयी हो, वहाँ उपमदों को पूर्णरूप से उप विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।
- (ii) कार्यालय उपयोग में आने वाले जनरल आइटम्स की वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में, जहाँ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हो, वहाँ अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। केंता अधिकारी/ केंता समिति का इस संबंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं विनिर्देशों के अनुरूप है, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अन्तिम एवं निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।
- (iii) वारंटी/गारंटी खण्ड :- निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/सामान/ वस्तुएं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से 15 दिनों/माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि केंता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं या उन्हें अनुमोदित कर दिया है यदि 15 दिनों/माहों कि उक्त अवधि में मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये है (तथा उस संबंध में केंता अधिकारी का निर्णय अन्तिम या निर्णायक होगा), तो केंता उक्त मालों/सामानों/ वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने वाले माल/सामान/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए तो उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे केंता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता उस नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में केंता अधिकारी के किसी अन्य अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।
- (iv) मशीनों और उपकरणों के मामले में भी उक्त खण्ड (3) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जों, यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाए कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

(v) केंता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता से निबंधनों और शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाए, वार्षिक रखरखाव (मैटीनेंस) एवं मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर

पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिए भी, चाहे वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह कंटा अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

16. निरीक्षण :-

- (क) कंटा अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालो/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।
- (ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते तथा टेलीफोन एवं मोबाइल नम्बर के साथ देगा जिससे उसे प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामलों में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैकर्स से एक परिचय- पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. नमूनें :- अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूनें प्रस्तुत किए जायेंगे। ऐसे नमूने, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जाये तो कार्यालय में प्राप्त किये जाएंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद दी जावेगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी.आर.एफ. पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/खाद्य पदार्थों में नमूनें प्लास्टिक बॉक्स/पौलीथीन के थैलों में निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।

18. प्रत्येक नमूने पर, उस पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएंगे।

19. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें, प्रशिक्षण, जाँच आदि के दौरान किसी भी नुकसान, टूट-फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।

निर्धारित अवधि कि समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापिस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समाहत् कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है, उनमें परीक्षण, जाँच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान टूट-फुट या हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूनें वापस नहीं लिए जायेंगे उन्हें समपहत् किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

21. प्रदाया जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण या सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
22. नमूने निकालना :- परीक्षणों के मामले में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबंद किया जाएगा। उनमें से एक सेट उन्हें दिया जाएंगे, एक या दो सेटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सेट सदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।
23. परीक्षण प्रभार :- परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाया किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगे।
24. रद्द करना :-
 - (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं कि जायेगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उनहे केता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।
 - (ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं समझा जाए, तो केता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे। अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौति करेगा। इस प्रकार की गयी कटौति अन्तिम होगी।
25. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ताकि उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके मुद्दे उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।
26. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपूर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, रिसाव, टूट-फूट या लिकेज किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जाँच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि या कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।
27. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल का प्रदाय केता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक व्यक्तियुक्त अवसर देने के बाद केता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

28. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

29. i) सुपुर्दगी अवधि :- निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए क्रेता अधिकारी द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 15 दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा :-

क्र.सं.	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि
---------	----	--------	----------------

(ii) मात्रा की सीमा - आदेश को फिर से देना :- यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिये आदेश दिया जाता है तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिये बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकें परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप से खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक के प्रदाय के लिये ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने कि अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसा प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति या क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

30. जब एक बार सरकार और निविदादाता के बीच निविदा तय हो जावे तो निविदादाता की निविदा दिनांक 31.03.2011 तक निविदा चालू रखनी पड़ेगी (इसमें दिनांक 31.03.2011 की तारीख शामिल है) जिसे समान दरों पर 3 माह के लिए यथा 30.06.2011 तक बढ़ाया जा सकेगा तथा निविदादाता इसके लिए बाध्य होगा तथा इससे आगे की अवधि आपसी सहमति के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी तथा निविदा में दी गई दरें सम्पूर्ण अवधि तक लागू रहेगी चाहे कोई अनपेक्षित घटना या परिस्थितियां उत्पन्न की जाये यदि किसी वस्तु पर नियंत्रण हो जाय और उसके लिए सरकार से अनुमति पत्र (परमिट) की आवश्यकता हो विभाग अनुमति पत्र की प्राप्ति में निविदादाता की सहायता करने का प्रयत्न करेगा बशर्ते की ऐसी सहायता सामग्री न देने की दशा में निविदा की शर्तों को पूरा करवाने से सरकार के अधिकार पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न डाले, किन्तु सामग्री जुटाने व देने का सारा उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। इस निमित्त निविदादाता द्वारा किये गये किसी भी अतिरिक्त व्यय की हानि पूर्ति नहीं की जावेगी, उस दशा में भुगतान नियंत्रित दरों के अनुसार किया जावेगा चाहे टेण्डर की दरें कुछ भी हों।

31. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :- (क) निविदा के साथ 10,000/- रु. की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि निदेशक (जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर) के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप से भी जमा करायी जानी चाहिए :-

(i) नकद - शीर्ष " 8443 - सिविल निक्षेप - 103 प्रतिभूति निक्षेप" के अन्तर्गत ट्रेजरी बालान से जमा करायी जाना चाहिए।

(ii) शिड्यूल बैंक का ड्राफ्ट/ बैंक चैक।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय :- असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से

(ग) बयाना राशि से आंशिक छूट :- उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग भवन, राजस्थान के पास पंजीकृत है, उन मदों के संबंध में, जिनके लिये वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र या उसकी फोटोप्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने का (विलोपित) निविदाये आमंत्रित करने की सूचना में दिखाये गये निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी। लघु औद्योगिक इकाईयो को निदेशक, उद्योग या उनके प्रतिनिधियों द्वारा जारी किये गये स्थाई पंजीयन प्रमाण के आधार पर बयाना राशि के भुगतान करने से आंशिक छूट दी गई है और निविदा की समावित राशि पर 1/2 प्रतिशत बयाना राशि देनी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के उपकरणों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) अनुमोदन की प्रतिका करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/ कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिये बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं के पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

32. बयाना राशि का समपहरण:- बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :-

- (i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपांतरण करता है।
- (ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।
- (iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।
- (iv) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

33. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप : (प) सफल निविदादाताओं के आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में रू० 500/- के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएँ स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि कि रूप में निम्न प्रकार होंगे :

(क) नगद/ बैंक ड्रॉफ्ट/ बैंकर्स चैक/ चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पासबुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, डिफेंस सर्विसेस सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अन्य बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्किस्ट/ विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण-पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वैल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

- (v) एक बार की खरीद के मामले में कय आदेश के अनुसार मर्दों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं है। प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।
2. (1) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के संबंध में जिनके लिये वे रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन (विलोपित) प्रमाण-पत्र मूल रूप में या उसकी फोटो स्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी।
- (2) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे
3. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :-
- (क) जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल हो रहा हों।
- (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
4. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुद्ध प्रतिपडत निःशुल्क दी जाएगी।
34. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो तो प्रदायकर्ता के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत कि दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।
- (ii) आर.आर. केवल बैंक के माध्य से रजिस्टर्ड लिफाके में भेजी जानी चाहिए।
- (iii) यदि केता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
- (iv) भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगे।
35. बीमा :-
- (i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाशन एवं नुकसान द्वारा या आग, बाढ मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे - युद्ध, विद्रोह, दंगों आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (ii) यदि केता द्वारा चाहा गया हो तो केता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

36. भुगतान

- (i) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स

ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण-पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा कंता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगे।

(iii) विवदास्पद मदों में संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

37. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता कंता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिसमापित नुकसानी :-परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामलों में वूसली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है :-

1. (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।

2. प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

3. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

4. यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उस समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

5. यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

38. वसूलिया :- परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फुट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली

मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदयकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

39. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

40. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है तो इससे वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा, जब तक कि कंता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

41. कंता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा। किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।

42. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे:-

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणिता प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलिफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।

43. यदि संविदा के निर्वहन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले का विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप- अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप-अधिकारी इस संविदा के संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

44. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि सस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या निविदादाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालय में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम

फर्म का नाम मय मोहर

दूरभाष नं./मोबाइल नं.

कार्यालय उपयोग में आने वाले जनरल आईटमस् की सूची

के लिए निविदा

निविदाकार का नाम एवं पता

तकनीकी बिड (भाग-1)

क्रमांक:

दिनांक :

(अ) जनरल सामान

क्र. सं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम
1	मास्क्यूट नाईट रिफिल 45 नाईट	40	
2	मास्क्यूट नाईट, मशीन मय रिफिल	24	
3	डस्टबीन प्लास्टिक बिना ढक्कन (सादा)	150	
4	जग प्लास्टिक डेढ लीटर	100	
5	दीवार घडी 1 x 1 फुट	10	
6	इलेक्ट्रीक घंटी	20	
7	रिमोट घंटी	20	
8	गिलास कौंच	250	
9	कप सेट बोन थाइना	20 सेट	

10	केलकुलेटर 12 डिजीट	12	
11	पंचिग मशीन मॉडल नं.पी-30	20	
12	रूम परफ्यूम	40	
13	स्टेपलर मशीन नं. 10	30	
14	स्टेपलर मशीन नं. 24/6	30	
15	टेबिल ग्लास 3X2	50	
16	सर्विस ट्रे मिडियम साइज प्लास्टिक	12	
17	ताला बडी साइज 7 लीवर	50	
18	टेलीफोन लॉक	20	
19	थर्मस 1 लीटर	10	
20	टी-कोस्टर प्लास्टिक	10 सेट	
21	तौलिया फुल साइज	50	

22	नेपकिन	50	
23	पेन्सिल सेल	200	
24	टोनर फोटो स्टेट मशीन तौसिबा हेतु	25	
25	टाच 2 बड़े सेल की	12	
26	पानी के केम्पर 5 लीटर	12	
27	बरसाती	20	

नोट : कम संख्या 1 से 27 के सामान का सेम्पल टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ब) लाइट का सामान

क्र. सं.	नाम सामग्री/आइटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम
1	बल्ब 100 वाट	24 नग	
2	बल्ब स्पॉट	24 नग	
3	ट्यूबलाइट रॉड 40 वाट	150 नग	
4	एक्सटेन्शन बोर्ड	20	
5	चॉक 40 वाट	50	
6	सीलिंग रोज	24	
7	कन्डेनसर ऑयल 4 एमएफडी	50	
8	कन्डेनसर ऑयल 2.5 एमएफडी	50	
9	मल्टी प्लग 15 एएमपी	2 दर्जन	
10	रेग्यूलेटर	50	
11	स्विच 5 एएमपी	50	

12	सॉकेट 5 एएमपी	50	
13	स्विच 15 एएमपी	50	
14	सॉकेट 15 एएमपी	50	
15	स्टार्टर द्यूबलाइट 40 वाट	200	
16	टैप रोल (लाईट के उपयोग हेतु) छोटी	30	
17	श्री पिन टॉप 5 एएमपी	50	
18	श्री पिन टॉप 15 एएमपी	50	
19	वायर बण्डल फ्लेक्सिबल	5	
20	वायर बण्डल 2.5 एएमएम	4	
21	वायर बण्डल 40/76 3 कोर	4	
22	वायर बण्डल 1.5 एएमएम	4	
23	कूलर पम्प समसेवल	50	

(स) कम्प्यूटर आईटमस्

क्र. सं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम
1	पैन ड्राइव 4 जीबी	36	
2	पैन ड्राइव 8 जीबी	24	
3	कम्प्यूटर माउस (ऑप्टिकल)	20	
4	की-बोर्ड	10	
	प्रिन्टर कार्टेज		
	1. HP Laserjet ML-1710	5	
	2. HP Laserjet Q-2612 A	20	
	3. HP Laserjet 1512 A	5	
	4. Colour Cartidge IP-1000	2	
	5. HP Laserjet 1100-92 A	2	
	6. HP Laserjet 388A	5	

	7. HP Laserjet 49A	5	
	प्रिन्टर कार्टेज रिफिलिंग		
	1. HP Laserjet ML-1710	10	
	2. HP Laserjet Q-2612 A	100	
	3. HP Laserjet 1512 A	25	
	4. Colour Cartidge IP-1000	10	
	5. HP Laserjet 1100-92 A	10	
	6. HP Laserjet 388 A	15	
	7. HP Laserjet 49 A	20	

(द) लकडी के आइटेमस्

क्र. सं.	नाम सामग्री/आइटेम	साइज	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम
1	प्लाई बोर्ड	19 MM 6X4	2	
2	प्लाई बोर्ड	19 MM 8X4	2	

3	प्लाईवुड	12 MM 6X4	2	
4	प्लाईवुड	8 MM 6X4	2	
5	प्लाईवुड	6 MM 6X4	2	
6	प्लाईवुड	4 MM 6X4	2	
7	सनमाईका सीट	1 MM 8X4	4	
8	टेबिल टॉप माइका लेमिनेटेड (उपर व नीचे)	5'X2.5' X 1"	10	
9	टेबिल टॉप माइका लेमिनेटेड (उपर व नीचे)	4'X2.5' X 1"	10	
10	डोर क्लोजर		10	
11	फेवीकॉल (1 लीटर पक में)		4 लीटर	

COMPUTER STATIONERY ITEMS AND GENERAL STATIONERY ITEMS

PART – B FINANCIAL BID

Two Bids in separate sealed envelopes for Part- A Technical & Part – B Financial Bids, should be filled and duly marked “*Technical/Financial Bid for general items to be used for office purpose*” and submitted as per schedule given below :-

1	Tender No. 01	Date 27-11-2009		
2	Tendering Authority & Address	Director (PH) Directorate, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur Ground Floor, Swasthya Bhawan, C-Scheme, Tilak Marg, Rajasthan, Jaipur.		
3	Telephone	0141-2229858		
4	Telephone-Cum-Fax	0141-2224831		
5	E-mail	-		
		Date	Time	Place
6	B. Tender from can be obtained upto B. Tender from can be submitted upto	15.12.2009 16.12.2009	3:00 PM 11:00 AM	DM&HS, Raj. Jaipur Room No.- B-11 स्वास्थ्य भवन
7	Opening of Tender for :-			
	A. Technical Bids	16.12.2009	2:00 PM	---do---
	B. Financial Bids	17.12.2009	2:00 PM	---do---

The tender (Technical & Financial Bids) should be delivered personally according to the schedule given above. Tenders will be short listed on the basis of Technical Bids. Financial bids shall be opened only for those tenderers who qualify in the Technical Bids.

Date :

Signature of Issuing
Authority

Signature of Tenderer

कार्यालय उपयोग में आने वाले जनरल आईटमस् की सूची

..... के लिए निविदा

निविदाकार का नाम एवं पता

वित्तीय बिड (भाग-1)

क्रमांक:

दिनांक :

(अ) जनरल सामान

क्र. सं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम	निविदादाताओं द्वारा दी गई दर	
				अंकों में	शब्दों में
1	मास्क्यूट नाईट रिफिल 45 नाईट	40			
2	मास्क्यूट नाईट, मशीन मय रिफिल	24			
3	डस्टबीन प्लास्टिक बिना ढक्कन (सादा)	150			
4	जग प्लास्टिक डेढ लीटर	100			
5	दीवार घडी 1 x 1 फुट	10			
6	इलेक्ट्रीक घंटी	20			
7	रिमोट घंटी	20			
8	गिलास काँच	250			
9	कप सेट बोन चाइना	20 सेट			

10	केलकुलेटर 12 डिजीट	12			
11	पंचिंग मशीन मॉडल नं. पी-30	20			
12	रूम परफ्यूम	40			
13	स्टेपलर मशीन नं. 10	30			
14	स्टेपलर मशीन नं. 24/6	30			
15	टेबिल ग्लास 3x2	50			
16	सर्विस ट्रे मिडियम साइज प्लास्टिक	12			
17	ताला बडी साइज 7 लीवर	50			
18	टेलीफोन लॉक	20			
19	थर्मस 1 लीटर	10			
20	टी-कोस्टर प्लास्टिक	10 सेट			
21	तौलिया फुल साइज	50			

22	नेपकिन	50			
23	पेन्सिल सैल	200			
24	टोनर फोटो स्टेट मशीन तोसिबा हेतु	25			
25	टार्च 2 बड़े सैल की	12			
26	पानी के केम्पर 5 लीटर	12			
27	बरसाती	20			

नोट : कम संख्या 1 से 27 के सामान का सेम्पल टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ब) लाइट का सामान

क्र. सं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम	निविदादाताओं द्वारा दी गई दर	
				अंकों में	शब्दों में
1	बल्ब 100 वाट	24 नग			
2	बल्ब स्पॉट	24 नग			
3	ट्यूबलाइट रॉड 40 वाट	150 नग			
4	एक्सटेंशन बोर्ड	20			
5	चॉक 40 वाट	50			
6	सीलिंग रोज	24			
7	कन्डेनसर ऑयल 4 एमएफडी	50			
8	कन्डेनसर ऑयल 2.5 एमएफडी	50			
9	मल्टी प्लग 15 एएमपी	2 दर्जन			
10	रेग्यूलेटर	50			
11	स्विच 5 एएमपी	50			

12	सॉकेट 5 एएमपी	50			
13	स्विच 15 एएमपी	50			
14	सॉकेट 15 एएमपी	50			
15	स्टार्टर ट्यूबलाइट 40 वाट	200			
16	टैप रोल (लाइट के उपयोग हेतु) छोटी	30			
17	श्री पिन टॉप 5 एएमपी	50			
18	श्री पिन टॉप 15 एएमपी	50			
19	वायर बण्डल फ्लेक्सीबल	5			
20	वायर बण्डल 2.5 एएमएम	4			
21	वायर बण्डल 40/76 3 कोर	4			
22	वायर बण्डल 1.5 एएमएम	4			
23	कूलर पम्प समसेवक	50			

(स) कम्प्यूटर आईटमस

क्र. सं.	नाम सामग्री/आईटम	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम	निविदादाताओं द्वारा दी गई दर	
				अंकों में	शब्दों में
1	पैन ड्राइव 4 जीबी	36			
2	पैन ड्राइव 8 जीबी	24			
3	कम्प्यूटर माउस (ऑप्टिकल)	20			
4	की-बोर्ड	10			
	प्रिन्टर कार्टेज				
	1. HP Laserjet ML-1710	5			
	2. HP Laserjet Q-2612 A	20			
	3. HP Laserjet 1512 A	5			
	4. Colour Cartidge IP-1000	2			
	5. HP Laserjet 1100-92 A	2			
	6. HP Laserjet 388A	5			

	7. HP Laserjet 49A	5			
	प्रिन्टर कार्टेज रिफिलिंग				
	1. HP Laserjet ML-1710	10			
	2. HP Laserjet Q-2612 A	100			
	3. HP Laserjet 1512 A	25			
	4. Colour Cartidge IP-1000	10			
	5. HP Laserjet 1100-92 A	10			
	6. HP Laserjet 388 A	15			
	7. HP Laserjet 49 A	20			

(द) लकड़ी के आईटमस्

क्र. सं.	नाम सामग्री/आईटम	साइज	अनुमानित मात्रा	कम्पनी/मेक का नाम	निविदादाताओं द्वारा दी गई दर	
					अंकों में	शब्दों में
1	प्लाई बोर्ड	19 MM 6X4	2			
2	प्लाई बोर्ड	19 MM 8X4	2			

3	प्लाईवुड	12 MM 6X4	2			
4	प्लाईवुड	8 MM 6X4	2			
5	प्लाईवुड	6 MM 6X4	2			
6	प्लाईवुड	4 MM 6X4	2			
7	सनमाईका सीट	1 MM 8X4	4			
8	टेबिल टॉप माइका लेमिनेटेड (उपर व नीचे)	5'X2.5' X 1"	10			
9	टेबिल टॉप माइका लेमिनेटेड (उपर व नीचे)	4'X2.5' X 1"	10			
10	डोर क्लोजर		10			
11	फेवीकॉल (1 लीटर पॅक में)		4 लीटर			